

निवेदन - आजीवन आजी क. नं. 99/22

क

आज्ञा पत्र

6.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट एवं अपीलान्ट स्वयं को बार बार आवाज़ दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिनाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्ट एवं उनके अधिकवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्ट अदम हाजरी एवं अदम बैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरलीष तकमील दाखिल दफ्तर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीक